(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3136–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–9–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 21/अपील/2013–14.

.....

1–श्रीमती पुक्खोबाई पुत्री स्व0हरनामसिंह पत्नि स्व0श्री रामसिंह
निवासी ग्राम बरौठा तहसील व जिला ग्वालियर
2–श्रीमती कपूरी पुत्री स्व0हरनाम पत्नि श्री गरीबा
निवासी गंगा मालनपुर जिला ग्वालियर
3–श्रीमती भूरीबाई पुत्री स्व0श्री हरनामसिंह पत्नि श्री शिवसिंह
निवासी गोविन्दपुरी कॉलोनी ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जगदीश पुत्र स्व0श्री हरनामसिंह
निवासी ग्राम जडेरूआकलां परगना जिला ग्वालियर

.....अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री सुनील शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/7/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार मुरार के आदेश दिनांक 11–1–2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 22–7–2014 को लगभग 7 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–9–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 7 वर्ष 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी और प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया था और न ही विलम्ब का समाधानकारक कारण बतलाया गया है, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा जानकारी का स्त्रोत नहीं बतलाया गया है कि उसे आदेश की जानकारी कब हुई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने के संबंध में सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है इसलिये उनका आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदक को नहीं दी गई थी और न ही उन्हें तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विलम्ब क्षमा करने में उदारता पूर्वक रूख अपना चाहिये इसलिये भी

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण आदेश पारित करने में मृतक भूमिस्वामी का अनावेदक वारिस होने के तथ्य को छिपाया गया है इससे यह स्पष्ट है कि नामान्तरण पंजी में पारित आदेश की जानकारी अनावेदक को नहीं होना स्वाभाविक है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जानकारी के दिनांक से अपील समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना मान्य करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर